

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2021/74

दायर दिनांक 18.11.2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति धाणक उम्र 41 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु।

—गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

निर्णय

दिनांक : 11.02.2022

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति धाणक उम्र 41 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु का रहने वाला है, जो सट्टे की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :-

क.स.	मुकदमा न० एवं दिनांक	जुर्म धारा	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	108/18.06.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	01.08.2018	99/2018	सजा 01.08.2018
2	130/26.07.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	31.08.2018	121/2018	सजा 31.08.2018
3	95/20.06.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	18.09.2019	120/2019	सजा 18.09.2019
4	28/05.03.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	06.07.2020	319/2020	विचाराधीन न्यायालय
5	110/07.08.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	27.10.2020	560/2020	विचाराधीन न्यायालय
6	146/23.10.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	07.07.2021	105/2020	विचाराधीन न्यायालय

अतः इस्तगासा विरुद्ध सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति धाणक उम्र 41 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावे।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त ना ही गैरसायल स्वयं ओर ना ही गैरसायल की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 06 बार, 13 RPO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 06 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. मे दिनांक 18.06.2018, 26.07.2018, 20.06.2019, 05.03.2020, 07.08.2020 व 23.10.2020 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति धाणक उम्र 41 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति धाणक उम्र 41 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल सुरेन्द्र कुमार को थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी, थाना राजगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ व थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



11/2
(लोकेश कुमार गौतम)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु